सं0 ई़डी0एन.सी.एफ (10)–7/2010
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

1. निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

दिनांक शिमला–171002 19 अप्रैल, 2011.

विषय :– स्कूल प्रबन्धन समिति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान स्कूल प्रबन्धन समिति की शक्तियों के पैरा 4.5 तथा 4.16 जो कि निम्न है, की ओर आकर्षित करना है:–

<u>पैरा 4.5</u> **निशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दियां अथवा अनुदान छात्रवृतियों को पात्र छात्रों को समय पर उपलब्ध करवाना**

इस बारे में यह निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में स्कूल प्रबन्धन समिति को यह अधिकार होगा कि वह अपने स्कूल के छात्र/छात्राओं की वर्दी का चयन स्वयं कर सकती है ।

तथा

<u>पैरा 4.16</u> **स्कूल भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण अथवा मुरम्मत कार्य करना अथवा करवाना । स्कूल प्रबन्धन समिति को अधिकार होगा कि वह विभाग के निर्देशानुसार निर्माण अथवा मुरमम्त का कार्य स्वयं करें अथवा करवाऐं । इसके लिए एक उप समिति का गठन किया जा सकता है अथवा स्कूल**

प्रबन्धन समिति इसके लिए योग्य संस्था/पंचायत से भी अनुबन्ध कर सकती है ।

इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्कूल प्रबन्धन समिति निर्माण या मुरम्मत का कार्य पंचायत को सौंपती है तो समिति निर्माण के लिए प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि को पंचायत को प्रदान करेगी तथा पंचायत ही उसका हिसाब किताब रखेगी तथा प्रबन्धन समिति को अलग से हिसाब किताब रखना आवश्यक नहीं होगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करें तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवायें ।

भवदीय,

G/F

अवर–सचिव (प्रा० शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।